न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 259/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/450**
दायर दिनांक :– 05.08.2025 **निर्णय दिनांक :– 28.08.2025**

1. जमाली पत्नी सामूखां पुत्र अमीरदीन जाति मुसलमान निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप हाल निवासी नेणियां तहसील कोलायत जिला बीकानेर

–प्रार्थी

बनाम

1. कादरखां पुत्र फजरूखां जाति मुसलमान नि. कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
2. जन्नी पत्नी कादरखां जाति मुसलमान नि. कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
3. रेखा डागा पत्नी अभिनव डागा जाति माहेश्वरी निवासी 3 सेलून हाउस उम्मेद क्लब रोड़ राईका बाग जोधपुर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. प्रार्थीगण
2 श्री आरूफ खांन अधि. अ. सं. 1 व 2

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थी को अपने हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि से अप्रार्थीगण द्वारा बेदखल कर दिया जाता है तो उससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 239 रकबा 1047–05 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 कादरखां, मुमताज खां, हनीफ खां पिसरान फजलूखां व अन्य खातेदारान के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि खसरा नम्बर 239 रकबा 1047–05 बीघा भूमि के खातेदारों के मध्य बंटवाड़ा हुआ। उक्त बंटवाड़ा के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 कादर खां, मुमताज खां, हनीफखां पिसरान फजलूखां व अन्य खातेदारान के नाम खसरा नम्बर 239 रकबा 274–07 बीघा दर्ज हुई। वर्तमान सेग्रीकेशन योजना के आधार पर

सासर गलत रूप से हिस्से दर्ज कर उक्त गलत हिस्सों के आधार पर भूमि का पुनः बंटवाड़ा किया गया। उक्त बंटवाड़ा के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 व अन्य खातेदारान के नाम खसरा नम्बर 1068/239 रकबा 16.5982 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम 1067/2039 रकबा 3.8221 हैक्टेयर अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 कादर खां, मुमताज खां, हनीफ खां पिसरान फजलूखां ने अपने नाम दर्ज भूमि में से संयुक्त रूप से 1/48 हिस्सा यानि 21–17 बीघा भूमि का बेचान पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर प्रार्थीनी को दिनांक 26.02.2025 को कर दिया था और उसी दिन विकेतागण ने केता प्रार्थीनी को मौके पर कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था और खरीद अनुसार आज दिन तक प्रार्थीनी का कब्जा व काश्त मौके पर शांतिपूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थीनी का खरीद अनुसार नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने से खरीद अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व अन्य लोग अपने उपरोक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 उपरोक्त अपने नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो प्रार्थीनी को अपने खातेदारी अधिकारों का कुठाराघात होगा। जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं किया जा सकता और न ही क्षतिपूर्ति ही संभव है। प्रार्थीनी गरीब एवं असहाय महिला है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 साधन सम्पन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति है। जिनका मुकाबला करने में प्रार्थीनी असमर्थ है। इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्व इस आश्य की जारी की जावे कि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 1068/239 रकबा 16.5982 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1067/239 रकबा 3.8121 हैक्टेयर भूमि में खरीद अनुसार प्रार्थी के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की और से आरूफ खांन ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना–पत्र, जवाब प्रार्थना–पत्र, जमाबंदी, नामान्तरकरण, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

28/10/25

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की जमाबंदी सम्वत 2077–80 का अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 व अन्य ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 1068/239 रकबा 16.5982 हैक्टेयर तथा 1067/239 रकबा 3.8121 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार थे। वादग्रस्त भूमि बंटवाड़ा के वाद का निर्णय होने पर अलग–अलग खाते कायम कर दिये गये। अप्रार्थीगण बटवाड़ा की डिक्री अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अलग खाता दर्ज है। प्रार्थीगण ने सेग्रीकेशन योजना में हिस्सा गलत दर्ज होने के कथन किये है परन्तु सेग्रीकेशन योजना के पश्चात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण व अन्य के मध्य विभाजन के वाद द्वारा खाते अलग–अलग कायम किये गये है। विभाजन का वाद किसी भी न्यायालय द्वारा आक्षेपित नहीं है। अगर प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को आराजी के उपयोग व उपयोग, कृषि कार्य करने में असुविधा होगी। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी, नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 व अन्य के नाम राजस्व रेकर्ड मे अलग–अलग खातों में दर्ज है जो जरिये बंटवाड़ा डिक्री के दर्ज किये गये है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में कृषि इत्यादि कार्य से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)